**प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023**

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 283 / 2023

अनवान : –

1. सुन्दर सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपुत निवासी वार्ड स0 10 गोगामेड़ी तहसील नोहर।

–वादी

**बनाम्**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादी

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88**
**राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **वादी**
राजपेरोकार

**निर्णय** **दिनांक: 18.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 120 / 120 की कुल 6.3250 हैक्ट में से 2 / 5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी का नाम सहवन से उक्त वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड में पता चक 2 जीजीएम, नंगली तहसील खतेड़ी दर्ज हो गया जबकि वादी का सही व वास्तविक पता वार्ड स0 10 गोगामेड़ी तहसील नोहर है। यही पता अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का पता राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का अन्य दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, मूलनिवास, बैक पासबुम आदि में वादी का पता वार्ड न0 10 गोगामेड़ी तहसील नोहर दर्ज है जबकि रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 120 / 120 में वादी का पता चक 2 जीजीएम, नंगली तहसील खतेड़ी दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का पता गलत दर्ज हुआ है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी अपना पता संशोधित करवाने की अधिकारी है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में स्थाई पता संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। हमने वादी को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 120 / 120 की कुल 6.3250 हैक्ट में से 2 / 5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का चक 2 जीजीएम, नंगली तहसील खतेड़ी दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही पता पता वार्ड न0 10 गोगामेड़ी तहसील नोहर है यही पता अन्य दस्तावेज में भी दर्ज है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का गोगाणा, भू0अ0नि0 गोगामेड़ी एवं नायब तहसीलदार रामगढ़ की रिपोर्ट में भी नाम संशोधन की अभिशंषा की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:20:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचना पत्र, बैक पासबुक आदि में वादी का पता वार्ड स0 10 गोगामेड़ी तहसील नोहर दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का पता गलत तौर से दर्ज हुआ है। वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं

नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वादी का पता वार्ड स0 10 गोगामेड़ी तहसील नोहर होना प्रतीत होता है। नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं तथा तहसीलदार एवं भू0अ0नि0 एव पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 6.3250 हैक्ट में से 2/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी का पता चक 2 जीजीएम, नंगली तहसील खतेड़ी दर्ज है के स्थान पर वार्ड न0 10 गोगामेड़ी तहसील नोहर के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी का पता 2 जीजीएम, नंगली तहसील खेतड़ी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादी का पता 2 जीजीएम, नंगली तहसील खेतड़ी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम वादी का पता 2 जीजीएम, नंगली तहसील खेतड़ी लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। पर्चा डिक्री जारी हो। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 18/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प : गोगामेड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:20:39 IST
Reason: SelfAttested

**प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023**

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 283/2023

अनवान : –

1. सुन्दर सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपुत निवासी वार्ड स0 10 गोगामेड़ी तहसील नोहर।

**–वादी**

**बनाम्**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

**–प्रतिवादी**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 283 सन 2023 निर्णय दिनांक 18.05.2023**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 6.3250 हैक्ट में से 2/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी का पता चक 2 जीजीएम, नंगली तहसील खतेड़ी दर्ज है के स्थान पर वार्ड न0 10 गोगामेड़ी तहसील नोहर के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी का पता 2 जीजीएम, नंगली तहसील खेतड़ी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादी का पता 2 जीजीएम, नंगली तहसील खेतड़ी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम वादी का पता 2 जीजीएम, नंगली तहसील खेतड़ी लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प : गोगामेड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:20:39 IST
Reason: SelfAttested